न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

भूमि बिक्री अनुमति वाद संख्या–63/2024

मो0 सरवर खान
बनाम्
मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड

–: आदेश :–

आवेदक सरवर खान, पिता–स्व0 गुलाम जिलानी खान निवासी ग्राम+पो0–चकला, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के तहत् चकला खुली कोयला खदान परियोजना, चकला, चन्दवा के लिए मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, 21वीं मंजिल प्रथम अंतरराष्ट्रीय केन्द्र टॉवर 4, प्रभादेवी, प्रभादेवी रेलवे स्टेशन के पास सेनापति बापत मार्ग, मुम्बई–400013 कोयला खदान (प्रतिष्ठान) चकला खुली कोयला खदान परियोजना ग्राम+पो0–चकला, थाना+अंचल–चन्दवा, जिला–लातेहार के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय कुमार राय पिता–स्व0 जनार्दन राय, जो कोयला खादान में भूमि विभाग के सहायक प्रबंधक प्रतिस्थापित है के साथ अपनी निम्नांकित भूमि को बिक्री हेतु अनुमति के लिए आवेदन समर्पित किया गया है :–

भूमि का विवरण

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा (एकड़ में)
चकला	44	992/3939	0.22

अंचल अधिकारी, चन्दवा के पत्रांक 576 दिनांक 15.07.2024 से प्रश्नगत भूमि की स्थलीय जांच प्रतिवेदन एवं आम इस्तेहार प्राप्त हुआ। आम इस्तेहार के विरूद्ध किसी का आपत्ति आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। अंचल अधिकारी, चन्दवा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का खतियानी भूमि है जिसका नामान्तरण वाद संख्या–46/2024–25 से मांग पंजी–II में आवेदक का नाम दर्ज है। आवेदक CNT Act. के जाति की सूची से अच्छादित नहीं है तथा भूमि

जस्ट्रीज लि०
.......तक
....

आवेदक के दखल कब्जे में है। भूमि बिक्री के लिए पूर्वानुमति की अनुशंसा की गयी है।

आवेदक एवं मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अंचल अधिकारी, चन्दवा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं संबंधित अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया।

आवेदक न्यायालय में दिनांक 28.06.2024 को सशरीर उपस्थित होकर मौजा–चकला खाता नं0–44, प्लॉट नं0–992/3939, रकबा–0.22 एकड़ भूमि मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में बिक्री करने की सहमति दिया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम–चकला का आवेदित भूमि खतियानी भूमि है, जिसपर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है एवं निर्विरोध रूप से अपने स्वत्व अधिकार का उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि चकला कोयला खदान क्षेत्र से संबंधित अन्य कार्यों के लिए आवश्यक है, जिसे द्वितीय पक्ष को बिक्री करना है। ग्राम–चकला थाना–चन्दवा, थाना नं0–238, अंचल–चन्दवा, जिला–लातेहार में स्थित भूमि खाता नं0–44, प्लॉट नं0–992/3939, रकबा–0.22 एकड़ के मालिक एवं कब्जाधारी रैयत है, जो कि खतियानी है तथा लगान जमा किया जा रहा है। उक्त भूमि के बावत किसी अन्य के नाम से कोई भी कागजात या दस्तावेज मेरे द्वारा निष्पादित नहीं किया गया है, सभी प्रकार के ऋण भार बंध को न्यायालय या देशी कुर्की विवादों, विलों, विनियमनों कर्ज या लेन–देन से स्वतंत्र या पूर्णतया मुक्त है। उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का मुकदमा या विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। उक्त भू–खण्ड का राजस्व रसीद हमारे नाम से निर्गत हो रहा है एवं अंचल के राजस्व दस्तावेज/रजिस्टर–II में हमारे नाम से दर्ज है। हमें पुख्ता जानकारी है कि चकला कोयला खदान का स्वामित्व द्वितीय पक्ष मेसर्स हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi (Constituted under Section 6 of The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) ने निधान आदेश (Vesting Order) संख्या–NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 द्वारा दे दिया है तथा भूमि चकला कोयला खदान क्षेत्र से संबंधित अन्य कार्यों के

95
475

लिए आवश्यक है। चकला कोयला खनन हेतु अपनी भूमि द्वितीय पक्ष के पास भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप बेचने के लिए तैयार है। द्वितीय पक्ष विधि सम्मत प्रावधानों के अनुसार बाजार मूल्य का चार गुणा की दर से भूमि खरीदना चाहती है, जिससे मैं संतुष्ट होकर उक्त जमीन को बेचने एवं कम्पनी के पक्ष में निबंधित विक्रय पत्र करने के लिए तैयार हूँ।

मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Government of India, Ministry of coal, Office of the Nominated Authority, Shastri Bhawan, New Delhi (Constituted under Section 6 of The Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015) के निधान आदेश (Vesting Order) संख्या–NA-104/9/2020-NA दिनांक 03.03.2021 के पृष्ठ–4 पर Annexure 1 Particulars of the mine के Part A-Description of the mine अंकित है जो निम्नवत है–

Name of Coal Mine	Chakla
Coal Field	North Karanpura Coalfield
Latitude	23° 43' 01" N-23° 44' 55" N (Provisional)
Longitude	84°47' 11" E- 84° 49' 52" E (Provisional)
Villages	Chakla, Hariyatoli, Nawatoli, Amwatanr, Ambuatanr
Tehsil/Taluka	Chandwa
District	Latehar
State	Jharkhand

महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास), सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीच्यूट लिमिटेड (CMPDI) (A Subsidiary of coal India limited/ Public Sector undertaking of Govt. of India), Gondwana place, Kanke Road, Ranchi के पत्रांक सीएमपीडीआई / बी0डी0 / C(993)/E-403607/I-12688 दिनांक 27.08.2021 के द्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के चकला कोल ब्लॉक का Topographical survey, Block Boundary demarcation एवं DGPS Survey of Boundary Pillars किया गया है, जिसके Table-I में Block Boundary का सीमांकन कर C1 से C166 तक Boundary Pillars एवं Table-II में Bore-hole Pillars को चिन्हित कर Geographical/UTM/National Coal Grid Co-ordinates की सूची उपलब्ध करायी गयी है। मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज

लिमिटेड को उक्त भूमि अन्य कार्य के लिए क्रय करना जरूरी है।

आवेदक द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तावित भूमि सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईन इंस्टीच्यूट लिमिटेड द्वारा Block Boundary demarcation के आलोक में उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक 1000/रा0 दिनांक 08.11.2021 के द्वारा चकला कोल ब्लॉक के अन्तर्गत पड़नेवाले वन भूमि, गैरमजरूआ आम/खास/जंगल–झाड़ी एवं रैयती भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया है। सत्यापन प्रतिवेदन के प्रपत्र–7 में अनुमति हेतु प्रस्तावित भूमि अंकित नहीं है।

इस प्रकार आवेदक द्वारा अनुमति के लिए प्रस्तावित भूमि राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा घोषित नहीं है।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–49(1)(क)(ख) के अन्तर्गत खनन कार्य के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को राज्य सरकार के अधिसूचना द्वारा सम्पुष्टि/घोषित रहने का प्रावधान है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आवेदक सरवर खान, पिता–स्व0 गुलाम जिलानी खान निवासी ग्राम+पो0–चकला, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार के द्वारा मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के तहत् मौजा–चकला के खाता नं0–44, प्लॉट नं0–992/3939, रकबा–0.22 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति के लिए दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, चन्दवा एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:14:35 +05:30
Location: 192.168.164.143

उपायुक्त,
लातेहार।